बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक– प्र06 विविध–15/2020 – 2152   खाद्य, पटना/दिनांक– 21.05.2020

प्रेषक,

पंकज कुमार पाल,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी।

विषय :– **आत्म निर्भर भारत के अन्तर्गत प्रवासी श्रमिकों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने हेतु विवरणी उपलब्ध कराने के संबंध में।**

प्रसंग :– विभागीय पत्रांक 2087 दिनांक 16.05.2020, पत्रांक 2132 दिनांक 19.05.2020 एवं पत्रांक 2150 दिनांक 21.05.2020.

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रासंगिक पत्रों के माध्यम से कोविड–19 से उत्पन्न वैश्विक महामारी के कारण अन्य राज्यों से वापस आये प्रवासी श्रमिकों को आत्म निर्भर भारत के तहत माह मई, 2020 एवं जून, 2020 में प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम मुफ्त खाद्यान्न (चावल) उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रवासी श्रमिकों की पहचान करते हुए आधार सहित विवरणी उपलब्ध कराने से संबंधित दिशा–निदेश निर्गत है एवं विभागीय पत्रांक 2150 दिनांक 21.05.2020 के द्वारा आत्म निर्भर भारत के तहत भारत सरकार द्वारा आवंटित खाद्यान्न को जिलों को उपावंटित किया गया है। उल्लेखनीय है कि व्याप्त महामारी के कारण प्रवासी श्रमिकों के समक्ष रोजी–रोटी की समस्या उत्पन्न होने के कारण प्रवासी श्रमिकों के बीच असुरक्षा की भावना प्रबल हो गयी है एवं ऐसी स्थिति में आत्म निर्भर भारत के तहत अविलंब खाद्यान्न उपलब्ध नहीं कराये जाने पर जिलों में विधि व्यवस्था की विकट परिस्थिति उत्पन्न होने से इंकार नहीं किया जा सकता है।

अतः उपरोक्त वर्णित स्थिति में आत्म निर्भर भारत के तहत प्रवासी श्रमिकों को त्वरित राहत देने के लिए निम्नवत् कार्रवाई किया जाना आवश्यक है –

1. अन्य राज्यों से वापस आये वैसे प्रवासी श्रमिक जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत आच्छादित नहीं हैं, उनकी पहचान करते हुए आत्म निर्भर भारत के तहत माह मई एवं जून, 2020 में खाद्यान्न वितरण कराया जाय।
2. माह मार्च, 2020 से अबतक अन्य राज्यों से वापस आये हुए श्रमिकों की सूचना **विहित प्रपत्र में (संलग्न)** आधार सहित संकलित कर अचूक रूप से **Excel Sheet** में प्रत्येक बुधवार एवं शनिवार को विभाग को उपलब्ध करायी जाय। साथ ही, जिलों में पात्र प्रवासी श्रमिकों के आधार कार्ड की छायाप्रति प्राप्त करते हुए संधारण सुनिश्चित किया जाय।
3. पात्र प्रवासी श्रमिकों हेतु आवंटित खाद्यान्न का ससमय उठाव करते हुए दिनांक– 22.05.2020 से अचूक रूप से वितरण पंजी **विहित प्रपत्र में (संलग्न)** संधारित करते हुए खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित किया जाय। खाद्यान्न वितरण के समय आधार कार्ड एवं अन्य वैध दस्तावेज यथा–वोटर कार्ड/ड्राईविंग लाईसेंस/पैन कार्ड इत्यादि के आधार पर पात्र प्रवासी श्रमिकों की पहचान की जाय तथा वितरित खाद्यान्न का **उपयोगिता प्रमाण पत्र (विहित प्रपत्र संलग्न)** माह के 10वीं तारीख तक निश्चित रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।
4. आत्म निर्भर भारत के तहत प्रवासी श्रमिकों की पहचान, खाद्यान्न का उपावंटन एवं वितरण में किसी प्रकार की लापरवाही एवं शिथिलता न बरती जाय तथा कार्य में लापरवाही एवं शिथिलता बरतने वाले पदाधिकारियों पर कार्रवाई करते हुए विभाग को सूचित किया जाय।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

विश्वासभाजन,

अनु0:–यथोक्त।

सरकार के सचिव।
21/05/2020

D:\YEAR = 2020\SEC = 06 (SIX)\Abhi-06.doc

ज्ञापांक प्र06 विविध–15/2020 – 2152 खाद्य, पटना/दिनांक– 21.05.2020
प्रतिलिपि– अपर जिला दंडाधिकारी (आपूर्ति), पटना/विशिष्ट पदाधिकारी अनुभाजन, पटना/ सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं सभी अनुमंडल पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/5/2020

सरकार के सचिव

प्रवासी श्रमिकों का विवरण

क्र0	नाम	संबंधी का नाम (माता/पिता/पति/पत्नी)	लिंग/उम्र	मोबाईल सं0	जिला	प्रखंड	पंचायत	ग्राम	वार्ड	आधार के अनुसार नाम एवं आधार संख्या	NFSA (राशन कार्ड) योजना से आच्छादित (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो राशन कार्ड सं0 अंकित किया जाय
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12

(अनुमण्डल पदाधिकारी का हस्ताक्षर)

आत्म निर्भर भारत अंतर्गत खाद्यान्न का दैनिक वितरण पंजी

दिनांक	क्रमांक	प्रवासी श्रमिक/परिवार के सदस्य का नाम/	प्रवासी श्रमिक का पूरा पता	पहचान हेतु आधार कार्ड/वोटर कार्ड/पैन कार्ड/ड्राईविंग लाईसेंस इत्यादि दस्तावेजों की विवरणी	मुफ्त खाद्यान्न		हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान
					चावल (05 किलो प्रति सदस्य)	चना	
1	2	3	4	5	6	7	8

आत्म निर्भर भारत के अन्तर्गत खाद्यान्नों के वितरण हेतु उपयोगिता प्रमाण पत्र

माह का नाम :– वर्ष :–

राज्य का नाम :– जिला –

(मात्रा क्वींटल में)

आत्म निर्भर भारत के अन्तर्गत जिन्स	अतिशेष स्टॉक	आवंटन	भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से उठायी गयी मात्रा	कुल मात्रा (2+4)	वितरित मात्रा	अवशेष स्टॉक
1	2	3	4	5	6	7
चावल						
चना						
कुल :–						

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त विवरणी में दर्शाये गये विवरण के अनुसार खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा किये गये आवंटन में से माह .... के दौरान आत्म निर्भर भारत के तहत प्रवासी श्रमिकों को .... क्वींटल चावल एवं .... क्वींटल चना वितरित किया गया है।

दिनांक :–

स्थान :–

जिला पदाधिकारी का हस्ताक्षर

नाम

दूरभाष सं0